ORS, Vit-'A' Soln, Zinc Tab, Halazone Tab निविदा से संबंधित Prebid Meeting की कार्यवाही

दिनांक 2.12.2010 को समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदा सूचना के अनुसार निर्धारित तिथि दिनांक 13.12.2010 को 11 बजे पूर्वाह्न में ORS, Vit-'A' Soln, Zinc Tab, Halazone Tab दर निर्धारण के लिए प्रकाशित निविदा हेतु इच्छुक निविदादाताओं के साथ Prebid Meeting आयोजित की गई, जिसमें डॉ० डी० के० रमण, अपर कार्यपालक निदेशक, श्री हेमन्त कुमार सिन्हा, औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (प्रतिनियुक्त), श्री राकेश नंदन सिंह, औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (प्रतिनियुक्त) एवं श्री विकाश शिरोमणी, औषधि निरीक्षक (प्रतिनियुक्त),औषधि नियंत्रण प्रशासन उपस्थित हुये। Pre-bid बैठक में कुल 8 इच्छुक निविदादाता कंपनीयों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया, जिनकी उपस्थिति लेकर संचिका में संधारित कर ली गयी है। इस बैठक में उपस्थित निविदादाताओं एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा निविदा में प्रकाशित सूचना, product list एवं निविदा सूचना में प्रकाशित terms and conditions के संबंध में निम्नांकित पृच्छाएँ की गई एवं तद्नुसार निर्णय लिये गये, जो निम्न है :-

1. एक निविदादाता द्वारा निविदा सूचना के minimum eligibility criteria की कंडिका (e), जिसमें यह उल्लेख है कि निविदादाता फर्म का वार्षिक टर्नओवर विगत तीन लगातार वित्तीय वर्षो में कम से कम एक करोड़ रूपये प्रतिवर्ष होना चाहिए, की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये यह पृच्छा की गई है कि क्या वैसे फर्म जिनका तीन वर्षो के स्थान पर मात्र दो वर्षो का वार्षिक टर्नओवर एक करोड़ रूपये प्रति वर्ष है, भी इस निविदा में भाग ले सकते हैं।

   इस संबंध में स्पष्ट किया गया कि निविदादाता कंपनी का वार्षिक टर्नओवर विगत तीन वित्तीय वर्षो यथा 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 में न्यूनतम एक करोड़ रूपये प्रतिवर्ष होना अनिवार्य है। इसमें किसी प्रकार के बदलाव की संभावना नहीं है।

2. एक अन्य निविदादाता द्वारा यह बताया गया कि औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा Non conviction Certificate मात्र Company के नाम से निर्गत किया जाता है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में NIT के Minimum Eligibility Criteria की कंडिका (h) में "company or any officer of the company" के स्थान पर मात्र company अंकित होना उचित होगा।

   इस संबंध में निविदादाता के सुझाव को स्वीकार कर लिया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि औषधि नियंत्रण प्रशासन के अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निर्गत Non Conviction Certificate जिसमें यह उल्लेख हो कि "the company has not been convicted ever before under Drugs & Cosmetics Act, 1940 and Rules 1945", Non Conviction Certificate के रूप में मान्य किये जायेगें।

3. मेसर्स आरनेट लैब प्रा० लिमिटेड, मुजफ्फरपुर के प्रबंध निदेशक द्वारा यह बताया गया कि उनकी कंपनी एक SSI Unit है एवं Bihar Finance (Amendment) Rules 2005 के नियम 131-B में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप SSI Unit जो बिहार में अवस्थित है को कोई EMD देने की बाध्यता नहीं है। अतः NIT के Minimum Eligibility Criteria की कंडिका (l) के आलोक में उन्हें एक लाख रूपये का EMD जमा करने की आवश्यकता है या नहीं। संस्थान द्वारा उपरोक्त नियमावली की एक छायाप्रति भी उपलब्ध करायी गयी।

   इस संबंध में Bihar Finance (Amendment) Rules 2005 के नियम 131-B का अवलोकन किया गया। उक्त नियमावली में यह उल्लेखित है कि "the small scale units located in Bihar shall not be liable to deposit earnest money". उपरोक्त नियम के आलोक में यह स्पष्ट किया गया कि बिहार में अवस्थित SSI Unit को EMD देने की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु उन्हें SSI Unit होने से संबंधित सभी अभिलेखों/कागजातों को निविदा के साथ समर्पित करना आवश्यक होगा।

4. एक निविदादाता द्वारा tender conditions की कंडिका 'n' की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये यह पृच्छा की गई कि testing charges हेतु total bill amount का 2% किस प्रकार काटा जायेगा।

   इस संबंध में स्पष्ट किया गया कि procurer द्वारा आपूर्तिकर्त्ता द्वारा भुगतान हेतु समर्पित bill के VAT/Sales Tax के amount को छोड़कर शेष बचे total bill amount का 2% testing charges के रूप में काट लिया जायेगा।